संख्या-आ०मि०-।।।/96-आयुष-2-2020-108/2014टी0सी0

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आयुष अनुभाग-2

लखनऊः दिनॉक 23 अक्टूबर, 2020

विषयः राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अन्तर्गत **जिला आयुष समिति** (District Ayush Society) के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.N.O.16016/01/2019-N.A.M. दिनांक 26.05.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि आयुष मंत्रालय वर्ष 2014-15 से राज्यों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जो इस देश के सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य देखभाल के आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिये एक प्रमुख कार्यक्रम के साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष-हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन प्रदेश में किया जाना है, जिसके निष्पादन एवं निगरानी के लिये जिला-स्वास्थ्य समिति के समान जिला आयुष समिति का गठन आवश्यक है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक जिले में एक जिला आयुष समिति का गठन, जिसका उत्तर प्रदेश (यथासंशोधित) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण कराया जायेगा, निम्नवत् संरचनानुसार किया जाता है:-

शासी निकाय (Governing Body)

अध्यक्ष	जिलाधिकारी
उपाध्यक्ष	मुख्य विकास अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
सदस्य	1-क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, (यदि उस मण्डल में हो तो) 2-प्राचार्य, आयुष महाविद्यालय (यदि उस जनपद में हो तो) 3-परियोजना निदेशक (D.R.D.A.) 4-जिला परियोजना अधिकारी (D.P.O.)(I.C.D.S.), 5-बेसिक शिक्षा अधिकारी (B.S.A.), 6-जिला पंचायत राज अधिकारी (D.P.R.O.), 7-आयुष एसोशिएसन के प्रतिनिधि. (जिलाधिकारी द्वारा नामित-एक)

	8-उप जिलाधिकारी (S.D.M.), (जिलाधिकारी द्वारा नामित-एक) 9-आयुष शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि (यदि उस जनपद में हों तो जिलाधिकारी द्वारा नामित-एक)

कार्यकारी निकाय (Executive Committee)

अध्यक्ष	मुख्य विकास अधिकारी (C.D.O.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी
सदस्य	1. अधीक्षक जिला चिकित्सालय 2. जिला कार्यक्रम प्रबंधक 3. जिला पंचायत राज अधिकारी (D.P.R.O), 4. जिला औषधि निरीक्षक 5. प्राचार्य, आयुष महाविद्यालय (यदि उस जनपद में कोई हो तो) 6. प्रभारी आयुष अनुसंधान संस्थान (आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित यदि हो तो)

3- जिला आयुष समिति के गठन तथा उसके सुचारू रूप से संचालन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होगें।

भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक-आ०मि०-III (1)/306/मि0नि0/2020-21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली
2. मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।
3. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें/यूनानी सेवायें/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित जिलाधिकारी से सम्पर्क कर शीघ्र ही जिला आयुष समिति के गठन की कार्यवाही करवाते हुए साथ ही जिला आयुष समिति के नाम से बैंक में नवीन खाता खुलवाकर उसका खाता सं0 तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड के साथ मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी को 15 दिन के भीतर सूचित करें।
5. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव